भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1993/वैशाख 8, 1915
No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 1993/VAISAKHA 8, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1993

सा. का. नि. 398(अ):—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 10ङ. की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्य (अर्हताएं और अनुभव) नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई है या करने से रह गई है, अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अध्यक्ष" से कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "कम्पनी विधि बोर्ड" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ङ. की उपधारा (1) के अधीन गठित कम्पनी विधि प्रशासन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "कम्पनी विधि सेवा" से केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा नियम 1965 के नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा अभिप्रेत है;

(घ) "न्यायिक सदस्य" से कम्पनी विधि बोर्ड का न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी है;

(च) "तकनीकी सदस्य" से कम्पनी विधि बोर्ड का तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "उपाध्यक्ष" से कम्पनी विधि बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और आयु-सीमा

(1) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(ग) किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो या कुल 10 वर्ष की अवधि तक कोई न्यायिक पद धारित न कर चुका हो और भारत: अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाई न रह चुका हो; या

(घ) कम्पनी विधि सेवा (विधिक शाखा) का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में अधिकारी श्रेणी या चयन श्रेणी में कोई पद या उस सेवा की श्रेणी 1 में कोई पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था; या

(ङ) भारतीय विधि सेवा का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा की श्रेणी II में कोई पद कम से कम तीन वर्ष तक या उस सेवा में कोई उच्चतर पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था;

(2) कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) कम्पनी विधि सेवा (लेखा शाखा) का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में अधिकारी श्रेणी या चयन श्रेणी में अथवा उस सेवा के श्रेणी 1 में कम से कम 3 वर्ष तक पद धारण किए हुए है या धारण किए हुए था; या

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी वृन्द स्कीम के अधीन भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र न हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो और कम्पनी विधि से संबंधित समस्याओं के निपटान के संबंध में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखता हो; या

(ग) कम से कम 15 वर्ष तक चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउन्टेंट के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(घ) कम से कम 15 वर्ष तक लागत और संकर्म अकाउन्टेंट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(ङ) कम से कम 15 वर्ष तक कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (45क) में यथा परिभाषित पूर्णकालिक व्यवसाय करने वाले सचिव के रूप में कार्य करने का अनुभव न रखता हो और कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान का सदस्य है ।

(3) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने पैंतालिस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने सदस्य के रूप में दो वर्ष से अन्यून अवधि तक पद धारण न किया हो।

(5) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि—

(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो, अथवा होने के लिए अर्हित न हो; या

4. सदस्यों की नियुक्ति—(1) सदस्यों का चयन भारत सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनके निर्देशिती के परामर्श से किया जाएगा ।

(2) इस नियम की कोई बात, कम्पनी विधि बोर्ड, के अध्यक्ष या किसी सदस्य को, जो इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, नियुक्ति को लागू नहीं होगी।

5. चिकित्सक द्वारा योग्यता—कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सक दृष्टि से योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता है यदि उसे किसी समतुल्य प्राधिकारी द्वारा पहले ही योग्य घोषित न कर दिया हो ।

6. किसी सदस्य द्वारा पद त्याग—कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा-

परन्तु सदस्य, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही पद छोड़ने के अनुज्ञात नहीं कर दिया गया हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास समाप्त होने तक या पद्धति सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति के अपना पद ग्रहण करने तक या उसने पद की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पूर्वतम हो, पद धारण करता रहेगा ।

7. कुछ परिस्थितियों में सदस्यों का पद से हटाया जाना—केन्द्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी-

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है:

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी ऐसे सदस्य को लागू नहीं होगी जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है:

परन्तु यह और कि जहां किसी सदस्य को खंड (ख) से खंड (ङ) तक में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर हटाया जाने की प्रस्थापना है वहां उस सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

8. अध्यक्ष और सदस्यों के पद की अवधि—नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और कोई अन्य सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

9. वेतन और भत्ते—(1) अध्यक्ष को प्रति मास 3,500 रु. (नियत) वेतन का संदाय किया जाएगा-

(2) उपाध्यक्ष को 7300-100-7600 रु. के वेतनमान में वेतन का संदाय किया जाएगा।

(3) सदस्य को 5900-200-6700 रु. वेतनमान में वेतन का संदाय किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष और सदस्य के भत्ते सेवा के शर्तें होंगे जो केन्द्रीय सरकार के वहीं वेतन या वेतनमान वाला समूह क के पद धारण कर रहे अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

10. निर्वचन--यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

11. व्यावृत्ति--इन नियमों की कोई बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

12. पद और गोपनीयता की शपथ--अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

13. सेवा की अन्य शर्तें :--ऐसे विषयों की बाबत किसी सदस्य की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है वैसी ही होंगी जैसी कि उस समय भारत सरकार के समतुल्य हैसियत के समूह क अधिकारियों को लागू हैं।

प्ररूप 1

(नियम 12 देखिए)

कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप।

"मैं, अमुक, जिसे कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, कि मैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेकबुद्धि के अनुसार, भय या पक्षपात, अनुराग या वैमनस्य के बिना, निर्वहन करूंगा।"

प्ररूप 2

(नियम 12 देखिए)

कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप।

"मैं, अमुक, जिसे कम्पनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कोई ऐसा विषय, जिसे उक्त कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में मेरे विचारार्थ लाया जाएगा या जो मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस के सिवाय जबकि ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

[फाइल सं. ए-- 12018/3/92-एडी-I]

पी. वेंकटरमणन्, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1993

GSR 388(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E, read with clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the Company Law Board Members (Qualifications and Experience) Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, the Central Government hereby makes the followng rules, namely,—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Chairman" means Chairman of the Company Law Board;

(b) "Company Law Board" means the Board of Company Law Administration constituted under sub-section (1) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) "Company Law Service" means the Central Company Law Service constituted under rule 3 of the Central Company Law Service Rules, 1965;

(d) "Judicial Member" means a Judicial Member of the Company Law Board;

(e) "Member" means a Judicial Member or Technical Member and includes the Vice-Chairman and the Chairman;

(f) "Technical Member" means a Technical Member of the Company Law Board;

(g) "Vice-Chairman" means Vice-Chairman of the Company Law Board.

3. Qualifications and age limit for appointment of Members :—(1) A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he—

(a) has, for at least ten years, held a judicial office in the territory of India; or

(b) has, for at least ten years, been an Advocate of High Court, or has partly held judicial office and has been partly in practice as an Advocate for a total period of ten years; or

(c) is, or has been, a Member of the Company Law Service (Legal Branch) and is holding or has held, a post in Super Time Grade or Selection Grade in that Service or a post in Grade I of that Service for at least eight years; or

(d) is, or has been a Member of the Indian Legal Service and is holding, or has held a post in Grade II of that Service for at least three years, or any higher post in that Service;

(2) A person shall not be qualified for appointment as Technical Member unless he—

(a) is, or has been, a Member of the Company Law Service (Accounts Branch) and is holding, or has held, a post in Super-Time Grade or Selection Grade in that service or a post in Grade I of that Service for at least eight years; or

(b) is eligible to be appointed as a Joint Secretary to the Government of India under the Central Staffing Scheme, or to any other post under the Central Government carrying a scale of pay which is not less than that of Joint Secretary to the Government of India, and has adequate knowledge of and experience in dealing with the problems relating to Company Law; or

(c) is, or has been, for at least fifteen years in practice as a Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(d) is, or has been, for atleast fifteen years in practice as a Cost Accountant under the Costs and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959); or

(e) has, for at least fifteen years, working experience as a Secretary in whole time practice as defined in clause (45A) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and is a member of the Institute of Company secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980).

(3) A person shall not be eligible for appointment as Member unless he has completed the age of forty five years.

(4) A person shall not be eligible for appointment as Vice-Chairman unless he has for a period of not less than two years held office as Member.

(5) A person shall not be eligible for appointment as Chairman unless he—

(a) is, or has been,, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or

(b) has for a period of not less than three years held office as Vice-Chairman.

4. Method of recruitment :—(1) The selection of Members shall be made by the Government of India in consultation with the Chief Justice of India or his nominee.

(2) Nothing in this rule shall apply to the appointment of Chairman or any Member of the Company Law Board functioning as such immediately before the commencement of these rules.

5. Medical Fitness.—No person shall be appointed as a Member unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose, unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

6. Resignation by a Member :—A Member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time.

Provided that the Member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is earliest.

7. Removal of members from office in certain circumstances :—The Central Government, in consultation with Chief Justice of India, may remove from office any Member, who—

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

Provided that nothing contained in this rule shall apply to a Chairman who is a Judge of a High Court.

Provided, further, that where a Member is proposed to be removed on any of the grounds specified in clauses (b) to (e), the Member shall be informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

8. Term of office of Chairman and Members :—Except as provided in rule 6 or rule 7, the Chairman or Vice-Chairman shall hold office till he attains the age of sixty two years and any other Member shall hold office till he attains the age of sixty years.

9. Salary and allowances :—(1) The Chairman shall be paid a salary of Rs. 8,000 per month (fixed);

(2) The Vice-Chairman shall be paid a salary in the scale of pay of Rs. 7300-100-7600;

(3) A Member shall be paid a salary in the scale of Rs. 5900-200-6700.

(4) The Chairman and Members shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Central Government officer holding Group 'A' post carrying the same pay or scale of pay.

[illegible] same shall be referred to the Central Government for its decision.

11. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

12. Oaths of office and secrecy :—Every person appointed to be Chairman or a Vice-Chairman or a Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

13. Other conditions of Services :—The conditions of service of a Member in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as may for the time being be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

(See rule 12)

Form of oath of office for Chairman|Vice-Chairman|Member of the Company Law Board.

"I, A.B., having been appointed as Chairman|Vice-Chairman|Member of the Company Law Board do solemnly affirm|do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairman|Vice Chairman|Member to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour affection or ill-will."

FORM II

(See rule 12)

Form of oath of secretary for Chairman|Vice-Chairman|Member of the Company Law Board.

"I, A.B., having been appointed as Chairman|Vice-Chairman|Member of the Company Law Board, do solmenly affirm|do swear in the name of God, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman|Vice-Chairman|Member of the said Company Law Board except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairman|Vice-Chairman|Member."

[File No. A-12018|3|92-Ad.I]

G. VENKATARAMANAN, Addl. Secy.

987GI/92—

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 1994/ज्येष्ठ 20, 1916
No. 243] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 1994/JYAISTHAA 20, 1916

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 1994

सा.का.नि. 503(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ङ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 1994 है।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव [illegible]) नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3क. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सदस्य के रूप में चयन किए जाने पर कंपनी विधि बोर्ड के सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने से पूर्व अपनी सेवा से निवृत्त होना पड़ेगा।"

3. मूल नियम में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पद की अवधि:—नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, अध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और कोई अन्य सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

4. मूल नियम में, नियम 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"8क. आकस्मिक रिक्ति:—केन्द्रीय सरकार को, अध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति की दशा में, उपाध्यक्ष को या उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड के सदस्यों में किसी एक को अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।"

5. मूल नियम में, नियम 9 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों की दशा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुज्ञेय हैं। अन्य मामलों में अध्यक्ष को प्रति मास 8,000 रु. (नियत) का वेतन और ऐसे अन्य भत्ते तथा प्रसुविधाएं दी जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार के वही वेतन और भत्ते वाले पद धारण कर रहे अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।"

[फा. सं. 12018/3/92-प्रशा.-I]

जी. वेंकटरमणन, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 1994

G.S.R. 503(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 10E read with clause (a) of sub-Section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board Members (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the Principal Rules), after rule 3 the following rule shall be inserted namely :—

"3A. The Employees of the Central Government on their selection as Members shall have to retire from their service before joining as Member of the Company Law Board."

3. In the principal rules, for rule 8, the following shall be substituted namely :—

"8. Term of office of Chairman, Vice-chairman and Members.—Except as provided in rule 6 or 7, the chairman shall hold office till he attains the age of sixty five years; the Vice-Chairman shall hold office till he attains the age of sixty two years and any other Member shall hold office till he attains the age of sixty years."

4. In the principal rules, after rule 8, the following shall be inserted, namely :—

"8A. Casual vacancy :—In case of a casual vacancy in the office of Chairman, the Central Government shall have the power to appoint

the Vice-Chairman or in his absence, one of the Members of the Board to officiate as Chairman."

5. In the principal rules, in rule 9, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman shall be paid salary and allowances as are admissible to a High Court Judge in case of sitting High Court Judges being appointed as Chairman. In other cases, the Chairman shall be paid a salary of Rs. 8,000/-(fixed) and other allowances and benefits as are admissible to Central Government officers holding posts carrying the same pay and allowances."

[F. No. A-12018/3/92-Admn. I]

G. VENKATARAMANAN, Additional Secretary

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 1996/आषाढ़ 3, 1918
No. 194] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 1996/ASADHA 3, 1918

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1996

सा.का.नि. 253 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ड की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 के नियम 8 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि "कोई अन्य सदस्य" पद के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 के प्रवृत्त होने से पूर्व सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और जो सदस्य के रूप में कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1996 के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व ऐसे सदस्य के रूप में निरन्तर पद धारण किए हुए है।"

[फा. सं. ए-12018/3/92-प्रशा I]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम, सा.का.नि. 388 (अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और पश्चात्वर्ती सा.का.नि. 504(अ) 3 जून, 1994 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 1996

G.S.R. 253(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 10E, read with clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, in rule 8 the following explanation shall be inserted at the end, namely :—

"Explanation :—For the removal of doubts it is hereby declared that the expression "any other member" shall include a person appointed as member before the coming into force of the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 and continuing to hold office as such member immediately before the coming into force of the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 1996".

[F. No. A-12018/3/92-Admn.I]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Footenote :—Principal rules were notified vide G.S.R. 388(E) dated 28th April, 1993 and subsequently amended by G.S.R. 504(E) dated 3rd June, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 1996/कार्तिक 29, 1918
No. 390] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 1996/KARTIKA 29, 1918

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1996

सा० का० नि० 532 (अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ई की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 1996 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 में नियम 3-क के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3-ख वे सदस्य जो सरकारी सेवा से आए और जो कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 1993 के प्रवृत्त होने से पूर्व सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए थे, अपने मूल विभागों को वापस लौटने का विकल्प या कंपनी विधि बोर्ड में स्थानांतरण द्वारा स्थायी आमेलन के विकल्प दे सकते हैं। ऐसा विकल्प राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर प्रयोग किया जा सकेगा।"

[फा. सं. ए.-12018/3/92-प्रशा. I]
जयेन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा० का० नि० 388 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 504 (अ) तारीख 3 जून, 1994 और सा. का. नि. 253 (अ) तारीख 28 मई, 1996 द्वारा उसमें संशोधन किए गए ।

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1996

G.S.R. 532 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 10E read with clause (a) of sub-section (i) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :—

1. (i) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) (Amendent) Rules, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) rules, 1993, after rule 3-A, the following shall be inserted namely :—

"3.B Those Members who came from Government service and who were appointed as members before coming into force of the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 may opt to return to their parent Departments or opt for permanent absorption by transfer in the Company Law Board. The option may be exercised within three months from the date of publication of these rules in the official Gazette."

[F. No. A.-12018/3/92-Admn. I]

JAINDER SINGH, Jt. Secy.

Foot Note:— Principal rules were notified vide G.S.R. 388(E) dated 28th April, 1993 and subsequently amended by G. S. R. 504(E) dated 3rd June, 1994 and G. S. R. 253(E) dated 28th May, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 1997/माघ 11, 1918
No. 42] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 1997/MAGHA 11, 1918

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1997

सा.का.नि. 49(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ङ को उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें) नियम, 1993 के नियम 9 के उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(5) उपनियम (1) से उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) नियम 3 के उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, मासिक वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा जिसके अन्तर्गत उसी दर पर परिलब्धियाँ भी हैं जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसको अनुज्ञेय हैं; या

(ख) नियम 3 के उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस अवधि के लिए जिसके लिए वह अध्यक्ष के रूप में सेवा करता है, ऐसा वेतन दिया जाएगा जो, उसकी पेंशन और पेंशन के समतुल्य किसी अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधा को मिलाकर सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा। वह ऐसे भत्तों और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा, जिसके अन्तर्गत परिलब्धियाँ भी हैं, जो उच्च न्यायालय के सेवारत् न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं।"

[फा.सं. ए-12018/3/96-प्रशा.-1]
जयेंदर सिंह, संयुक्त सचिव

द टिप्पणी:— मूल नियम सा.का.नि. 388(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 503 (अ)तारीख 3 जून,1994, सा.का.नि. 253(अ) तारीख 28 मई, 1996 और सा.का.नि. 532(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1996 द्वारा उसमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1997.

G.S.R 49 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E read with clause (a) of Sub section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :–

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 rule 9, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (4),—

(a) a Judge of High Court appointed as Chairman under clause (a) of sub-rule (5) of rule 3 shall be entitled to a mon salary, allowances and other benefits including perquisites at the same rate as is admissible to him as a Judge of a High Court;

(b) a retired Judge of a High Court appointed as Chairman under clause (a) of sub-rule (5) of rule 3 shall be paid for t period he serves as Chairman, such salary which, together with his pension and pension equivalent of any other form retirement benefits, shall not exceed the last pay drawn by him before retirement. He shall be entitled to such allowances and ot benefits including perquisites as are admissible to a serving Judge of a High Court."

[F. No. A-12018/3/96-Admn

JAINDER SINGH Jt. Se

Foot Note :— Principal rules were notified vide G.S.R. 388 (E) dated 28th April, 1993 and subsequently amended by G.S.R. 50 (E) dated 3rd June, 1994, G.S.R 253 (E) dated 28th May, 1996 and G.S.R. 532 (E) dated 20th November, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 1998/आषाढ़ 9, 1920
No. 242] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 1998/ASADHA 9, 1920

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1998

सा. का. नि. 370 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 19ङ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1998 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 के नियम 3 के उपनियम (5) के खण्ड (ख) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-12018/2/97-प्रशा.-I]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 388(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 503(अ) तारीख 3 जून, 1994 सा.का.नि. 253(अ) तारीख 28 मई, 1996, सा.का.नि. 532(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1996 और सा.का.नि. 49(अ) तारीख 31 जनवरी, 1997 द्वारा उसमें संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1998

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E, read with clause (a) of sub-on (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules er to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, , namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, in rule 3, in sub-rule (5), in clause (b), for the words "three years" the words "two years" shall be substituted.

[F. No. A-12018/2/97-Admn.-I]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

)T NOTE : Principal rules were notified vide G.S.R. 388 (E) dated 28th April, 1993 and subsequently amended by G.S.R. 503 (E) dated 3rd June, 1994, G.S.R. 253 (E) dated 28th May, 1996, G.S.R. 532 (E) dated 20th November, 1996 and G.S.R. 49 (E) dated 31st January, 1997.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 1999/फाल्गुन 21, 1920
No. 128] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 1999/PHALGUNA 21, 1920

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

सा.का.नि. 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10 ङ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1999 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

   "8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि :— नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबंधित है के सिवाय,अध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और उपाध्यक्ष तथा कोई अन्य सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।"

[फा.सं. ए.12018/1/99-प्रशा. I]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 388(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा अधिसूचित किया गया था और उसके पश्चात् सा.का.नि. 503(अ) तारीख 3 जून, 1994, सा.का.नि. 253(अ) तारीख 28 मई, 1996, सा.का.नि. 532(अ) तारीख 20 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 49(अ) तारीख 31 जनवरी, 1997 और सा.का.नि. 370(अ) तारीख 30 जून, 1998 द्वारा संशोधित किया गया।

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 1999

G.S.R. 203 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E, read with clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 1999.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 8 of the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, the following shall be substituted, namely :—

   "8. Term of Office of Chairman, Vice-Chairman and Members :—Except as provided in rule 6 or rule 7, the Chairman shall hold office till he attains the age of sixty five years and the Vice-Chairman and any other Member shall hold office till he attains the age of sixty two years."

[F. No. A-12018/1/99-Admn. I]

R. D. JOSHI, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—Principal rules were notified vide G.S.R. 388(E) dated 28th April, 1993 and subsequently amended by G.S.R. 503(E) dated 3rd June, 1994, G.S.R. 253(E) dated 28th May, 1996, G.S.R. 532(E) dated 20th November, 1996, G.S.R. 49(E) dated 31st January, 1997 and G.S.R. 370(E) dated 30th June, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 1999/आश्विन 8, 1921
No. 486] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1999/ASVINA 8, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1999

सा.का.नि. 680(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ङ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में—

(क) उपनियम (1) के खंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा (विधिक शाखा)/भारतीय कंपनी विधि सेवा (विधिक शाखा) का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कोई पद कम से कम तीन वर्ष से धारण किए हुए है या धारण किए हुए था; या

(घ) भारतीय विधि सेवा का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में श्रेणी-1 में कोई पद कम से कम तीन वर्ष से धारण किए हुए है या धारण किए हुए था।";

(ख) उपनियम (2) में विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा (लेखा शाखा)/भारतीय कम्पनी विधि सेवा (लेखा शाखा) का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उसे सेवा में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कोई पद कम से कम तीन वर्ष से धारण किए हुए है या धारण किए हुए था; या

(ख) केन्द्रीय कर्मचारीवृन्द स्कीम के अधीन संयुक्त सचिव या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम न हो और कम्पनी विधि से संबंधित समस्याओं के निपटान के संबंध में कम से कम तीन वर्ष का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखता हो।"

3. मूल नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) में "5900-200-6700" अंकों के स्थान पर "22400-525-24500" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-12018/1/98-प्रशा.I]

जी.पी. प्रभु, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् उसमें सा.का.नि. (अ) तारीख 3 जून, 1994, सा.का.नि. 253 (अ), तारीख 28 मई, 1996, सा.का.नि. 532 (अ), तारीख 20 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 49 (अ), 31 जनवरी, 1997, सा.का.नि. 370 (अ), तारीख 30 जून, 1998 और सा.का.नि. 203 (अ) तारीख 12 मार्च, 1999 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1999

G.S.R. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E, read with clause (a) of sub-on (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules ier to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, , namely ;—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Second Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3,

(a) in sub-rule (1) for the clauses (c) and (d), the following shall be substituted, namely :—

"(c) is, or has been, a Member of the Central Company Law Service (Legal Branch)/Indian Company Law Service (Legal Branch) and is holding or has held a post in Senior Administrative Grade in that service for at least three years; or

(d) is, or has been, a Member of the Indian Legal Service and is holding, or has held a post in Grade-I of that service for at least three years.";

(b) in sub-rule (2) for the existing clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely :—

"(a) is, or has been, a Member of the Central Company Law Service (Accounts Branch)/Indian Company Law service (Account Branch) and is holding, or has held, a post in Senior Administrative Grade in that service for at least three years; or

(b) is, or has been, a Joint Secretary to the Government of India under the Central Staffing Scheme or any other post under the Central Government carrying a scale of pay which is not less than that of Joint Secretary to the Government of India, for at least three years and has adequate knowledge and experience in dealing with the problems relating to Company Law."

3. In rule 9 of the principle rules, in sub-rule (3) for the figures "5900-200-6700", the figures "22400-525-24500" shall be substituted.

[F. No. A. 12018/1/98-Admn. I]

G.P. PRABHU, Jt. Secy.

Foot Note :—Principal rules were notified vide G.S.R. 388(E) dated 28th April, 1993 and subsequently amended by R. 503 (E) dated 3rd June, 1994, G.S.R. 253 (E) dated 28th May, 1996, G.S.R. 532 (E) dated 20th November, 1996, G.S.R.) dated 31st January, 1997, G.S.R. 370 (E) dated 30th June, 1998 and G.S.R. 203 (E) dated 12th March, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 1999/आश्विन 13, 1921

No. 489] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 1999/ASVINA 13, 1921

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1999

सा० का० नि० 683 (अ).—केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10-ङ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) तीसरा संशोधन नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 के नियम 9 में, :—

(क) उपनियम (1) में "8000" अंकों के स्थान पर "26000" अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में "7300-100-7600" अंकों के स्थान पर "24050-650-25000" अंक रखे जाएंगे।

[फा० सं० ए-12018/1/99-प्रशा०I]

जी. पी. प्रभु, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 388(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993 में अधिसूचित किए गए तत्पश्चात् उसमें सा. का. नि. 503(अ) तारीख 3 जून, 1994, सा. का. नि 253(अ), तारीख 28 मई, 1996, सा. का. नि. 532(अ), तारीख 20 नवम्बर, 1996, सा. का. नि. 49(अ), तारीख 31 जनवरी, 1997, सा. का. नि. 370(अ), तारीख 30 जून, 1998, सा. का. नि. 203(अ), तारीख 12 मार्च, 1999 और सा. का. नि. 680(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1999 द्वारा संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1999

G.S.R. 683 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E, read with clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely:—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Third Amendment Rules, 1999.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, in rule 9,—

   (a) in sub-rule (1) for the figures "8000", the figures "26000" shall be substituted;

   (b) in sub-rule (2), for the figures "7300-100-7600", the figures "24050-650-26000" shall be substituted.

[F. No. A-12018/1/99-Admn. I]

G. P. PRABHU, Jt. Secy.

Foot Note:—Principal rules were notified vide G.S.R. 388(E) dated April 28, 1993 and subsequently amended by G.S.R. 503(E) dated June 3, 1994, G.S.R. 253(E) dated May 28, 1996, G.S.R. 532(E) dated November 20, 1996, G.S.R. 49(E) dated January 31, 1997, G.S.R. 370(E) dated June 30, 1998, G.S.R 203(E) dated March 12, 1999 and G.S.R. 680(E) dated September 30, 1999.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929
No. 410] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007/BHADRA 22, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2007

सा.का.नि. 588(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 10ङ की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2007 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1993 में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पद की अवधि:**—नियम 6 या नियम 7 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, अध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और कोई अन्य सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।"

[फा. सं. ए-12023/2/2007-प्रशा. IV]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम सा.का.नि. 388(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 1993 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा इसके अनुवर्ती सा.का.नि. [illegible](अ) दिनांक 3 जून, 1994, सा.का.नि. 253(अ) दिनांक 28 मई, 1996, सा.का.नि. 532(अ) दिनांक 20 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. [illegible](अ) दिनांक 31 जनवरी, 1997, सा.का.नि. 370(अ) दिनांक [illegible] जून, 1998, सा.का.नि. 203(अ) दिनांक [illegible] 1999, सा.का.नि. 680(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1999, सा.का.नि. [illegible](अ) दिनांक 5 अक्तूबर, 1999 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2007

G.S.R. 588(E). — In exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 10E read with clause (a) of Sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely :

1. These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Amendment Rules, 2007.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, for rule 8, the following shall be substituted namely :—

'8. **Term of office of Chairman, Vice-Chairman and Members**:— Except as provided in rule 6 or 7, the Chairman shall hold office till he attains the age of sixty seven years, the Vice-Chairman shall hold office till he attains the age of sixty five years and any other Member shall hold office till he attains the age of sixty two years."

[F.No. A-12023/2/2007-AD IV]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Foot Note : Principal rules were notified *vide* G.S.R. 388(E) dated April 28, 1993 and subsequently amended *vide* G.S.R. 503(E) dated June 3, 1994, G.S.R. 253(E) dated May 28, 1996, G.S.R. 532(E) dated November 20, 1996, G.S.R. 49(E) dated January 31, 1997, G.S.R. 370(E) dated June 30, 1998, G.S.R. 203(E) dated March 12, 1999, G.S.R. 680(E) dated September 30, 1999, G.S.R. 683(E) dated October 5, 1999.

Printed by the Manager, [illegible] Ring Road, [illegible] New Delhi [illegible]
and Published by the [illegible] Publications, Delhi [illegible]